लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २५, १९५९/१८८० (शक)

[९ से २० फरवरी १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २५ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २५, अंक १ से १०—९ फरवरी से २० फरवरी, १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन, १८८० (शक)]

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, ९ फरवरी, १९५९/२० माघ, १८८० (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १

श्री ठाकुर दास मल्होत्रा, श्री रानेन्द्र नाथ बसु तथा श्री विट्ठल नारायण चन्दावरकर का निधन १

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा-पटल पर रखा गया . . २—९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . ९—१०

संसदीय समितियां—कार्य सारांश १०

स्थगन प्रस्तावों के बारे में १०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १०—१२, १४

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य १३

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य १३

विशेषाधिकार समिति—

प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय का बढ़ाया जाना . . १३—१४

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित . . १४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १५—१८

अंक २—मंगलवार, १० फरवरी, १९५९/२१ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ९ और १२ से १८ . . . १९—४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ४२—४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०, ११ और १९ से ५१ . . ४५—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७, ९, ११ से ४४ और ४६ से ५२ ५९—८०

पृष्ठ

पारित करने का प्रस्ताव . . २७५

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक . . . . २७५—८४

विचार करने का प्रस्ताव . . २७५—८२

खण्ड २ से १०, ११ से १४ तथा खण्ड १ २८३—८४

पारित करने का प्रस्ताव २८४

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . २८४—८६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २८७—९३

अंक ४—गुरुवार, १२ फरवरी, १९५९/२३ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३७, १४० और १४२ से १४७ . २९५—३१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४९ से १५५ और १५७ से १९१ . ३१९—३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३५ से १६५, १६७ से २०२, २०४, २०५, २०७ से २१०, २१२ से २२४ और २२६ से २२८ . ३३९—७५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

चीनी मिलों में तालाबन्दी . . ३७५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ३७५—७८

विधेयक पर राय . . . ३७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु ३७८—८०

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . ३८०—४२८

विचार करने का प्रस्ताव . . . ३८०—४१८

खण्ड २ से ४, ६ से १२, ५ और १ तथा अधिनियमन सूत्र . ४१८—२३

पारित करने का प्रस्ताव . . . . ४२३—२८

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४२९—३६

अंक ५—शुक्रवार, १३ फरवरी, १९५९/२४ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९६, १९८ से २०० और २०२ से २०४ ४३७—५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०५ से २२६, २२८ से २४१ और २४४ से २५२ ४५९—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २३५, २३७ से २३९ और २४१ से २७६ ४७९—९८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४९९

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति----
छत्तीसवां प्रतिवेदन ४९९

फिल्म उद्योग के बारे में वक्तव्य---सभा-पटल पर रखा गया . . ५००

चिनाकुरी खान-दुर्घटना पर चर्चा के बारे में . . ५००

सभा का कार्य . . . ५००--०१

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . ५०१--३४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चौतीसवां प्रतिवेदन ५३४-३५

देश के सभी लोक-सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में संकल्प . ५३६—५१

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त देने के बारे में संकल्प . ५५२-५३

दैनिक संक्षेपिका . . ४५४--५९

अंक ६—सोमवार, १६ फरवरी, १९५९/२७ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-

तारांकित प्रश्न संख्या २५३ से २६०, २६२, २६४ से २६८, २७० २७१, २७३ से २७५, २७७ और २८१ ५६१--८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६९, २७२, २७६, २७८ से २८०, २८२ से ३०१ और ३०३ से ३१० . . . ५८८--६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या २७७ से ३२२, ३२४ से ३५९ और ३६१ से ३६९ ६०५--४५

रामपुर की चीनी मिलों में हड़ताल के बारे में ६४५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ६४५--४८

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका . . ६४८-४९

तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ के अनुपूरकों के उत्तरों को शुद्ध करने के बारे में वक्तव्य . . ६४९

नदी बोर्डों के नियमों के सम्बन्ध में वक्तव्य . . ६४९

रामपुर की रजा और बुलन्द शुगर मिल्स में श्रम विवाद के बारे में वक्तव्य ६५०-५१

राष्ट्रपति के अथिभाषण पर प्रस्ताव ६५१--८२

दैनिक संक्षेपिका . . ६८३--९२

अंक ७—मंगलवार, १७ फरवरी, १९५९/२८ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३११, ३१२, ३१४ से ३१६, ३१८, ३२१ से ३२४ और ३२६ से ३२८ ६९३--७१९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१७, ३१९, ३२०, ३२५, ३२९ से ३४१, ३४३ से ३५८ और ३६० से ३६४ . . . ७१९—३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७८, ३८० से ४०५, ४०७ से ४२६, ४२८ ४२८ और ४३० . . . . ७३५—५७

स्थगन प्रस्ताव

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गोली चलाये जाने की घटनायें ७५७—६०

औचित्य प्रश्न के बारे में . . . ७६१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ७६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५८-५९ . ७६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९५८-५९ . ७६३

प्राक्कलन समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन . . ७६३

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . ७६३—८१४

दैनिक संक्षेपिका ८१५—२०

अंक ८—बुधवार, १८ फरवरी, १९५९/२९ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६५ से ३६८, ३७०, ३७३ से ३७५, ३७७, ३७९, ३८२ से ३८५ और ३८८ . ८२१—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६९, ३७१, ३७२, ३७६, ३७८, ३८१, ३८६ ३८७, ३८९ से ३९१ और ३९३ से ४१७ . . ८४६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३१ से ४७९ और ४८१ से ४८७ ८६२—८४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ८८४—८५

रेलवे आय-व्ययक, १९५९-६० . . ८८५—९१२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . ९०२—३९

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन. ९३०

दैनिक संक्षेपिका . . . ९४०—४४

पृष्ठ

अंक ९—गुरुवार, १९ फरवरी, १९५९/३० माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ से ४२२, ४२५, ४२६, ४२८ से ४३३, ४३५, ४३९ और ४४१ . ९४५—७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ९७०—७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२३, ४२४, ४२७, ४३४, ४३६ से ४३८, ४४०, ४४२ से ४६७ . . ९७२—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ४९९ और ५०१ से ५५७ ९८७—१०१५

श्री सिद्दप्पा होशमानी का निधन १०१५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०१५

कार्य मंत्रणा समिति— १०१५

पैंतीसवां प्रतिवेदन

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव १०१६—३२

कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०३२—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . १०५४—५९

अंक १०—शुक्रवार, २० फरवरी, १९५९/१ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६८ से ४७७ और ४७९ से ४८८ १०६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८ और ४८९ से ५१८ १०८६—११००

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५८ से ६६५ ११००—४६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ११४७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११४८

विशेषाधिकार समिति—

आठवां प्रतिवेदन . . . ११४८-४९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

एक बरात को परेशान किये जाने की कथित घटना . ११४९

सभा का कार्य ११४९–५०

खेल-कूद के स्तर में गिरावट के बारे में प्रस्ताव . ११५०—६८

विधेयक पुरस्थापित ११६८–६९

पृष्ठ

१. श्री उ० च० पटनायक का भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक . . ११६८

२. श्री जगदीश अवस्थी का दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का लोप) . ११६९

३. श्री झूलन सिंह का पटसन का न्यूनतम मूल्य विधेयक ११६९

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ११६९—८६

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ११८७

दैनिक संक्षेपिका . . ११८८—९५

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० को० (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अंचित राम, श्री (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (तिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम्)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्यांकण्णु, श्री (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम्, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुत्तुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम् श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरी)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)
इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री इयानी (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (प्रतापगढ़)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)
उपराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)
कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)
कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)
कमल सिंह, श्री (बक्सर)
कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

क—(क्रमशः)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)
किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुमारन, श्री (चिरयिन्कील)
कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)
कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)
कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)
कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)
कृष्णय्या, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)
केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)
केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)
केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कोडियान, श्री (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)
कोट्टुकप्पली, श्री जार्ज थामस (मवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खां, श्री सादत्त अली (वारंगल)
खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)
खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)
खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपाल राव (अकोला)
ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (जौनपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

गांधी, श्री फीरोज (रायबरेली)

गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)

गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)

गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता–पूर्व)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)

गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूम––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)

गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, सेठ (जबलपुर)

गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित––आसाम आदिम जाति क्षेत्र)

गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुघ (तिंडीवनम्)

गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तुर)

गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)

गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घारे, श्री अंकुशराव वेंकटराव (जालना)

घोडासार, श्री फतहसिंहजी (कैरा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री विमल कुमार (बैरकपुर)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशेदपुर)

घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)

च—(क्रमशः)

चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)

चन्द्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

चावन, श्री दा० रा० (कराड़)

चांडक, श्री बी० ल० (छिन्दवाड़ा)

चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)

चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)

चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित अनुसूचित जातियां)

जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)

जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)

जीन चन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)

जेधे, श्री केशवराव मारुतिराव (बारामती)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)

जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)

जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)

जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)

ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)

झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद, अमृत (बम्बई नगर-मध्य)
डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)
तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)
तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़—खंडवा)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (इटावा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (उन्नाव)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम्)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)
दामानी, श्री सू० र० (जालोर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (आसनसोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

द—(क्रमशः)

दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री शंकरराव खांडेराव (कोल्हापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुबे, श्री मूलच द (फर्रूखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरयना)
देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)
देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देव, श्री प्रताप केशरी (कालाहांडी)
देव, श्री प्र० गं० (अंगुल)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरी)
नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)
नंदा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)
नलदुर्गकर, श्री वेंकटराव, श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोयिलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)
नाथ पाई, श्री (राजापुर)
नादर, श्री थानुलिंगम् (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

न—(क्रमशः)

नायडू, श्री गोविन्दराजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोजीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)
नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)
नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)
नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)
पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पटेल, सुश्री मणिबेन बल्लभभाई (आनन्द)
पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)
पद्मदेव, श्री (चम्बा)
पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
परागीलाल, श्री (सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)
पलनियाण्डी, श्री (पेरम्बलूर)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

प—(क्रमशः)

पांडे, श्री सरजू (रसरा)
पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)
पाटिल, श्री नाना (सतारा)
पाटिल, श्री बालासाहेब (मिराज)
पाटिल, श्री र० ढ़ो० (भीर)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)
पादलू, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास-उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री स० म० (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)
बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब—(क्रमशः)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)

बिदारी, श्री रामप्पा, बालप्पा (बीजापुर–दक्षिण)

बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)

बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

बैरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)

बोस, श्री प्रभात चन्द्र (धनबाद)

ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)

'ब्रजेश', पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)

भगवती, श्री बि० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवनजी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

भट्टाचार्य, श्री चपल कांत (पश्चिम दीनाजपुर)

भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)

भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)

भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)

भार्गव, पंडित मथुरा बिहारी लाल (अजमेर)

भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा—रक्षित—अनसूचित आदिम जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

म—(क्रमशः)

मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टम्)
मतीन, काजी (गिरिडीह)
मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मनायन, श्री (दार्जिलिंग)
मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)
मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची–पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (फूलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)
महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेव (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (घाटल)
माझी, श्री राम चन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर–मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवान दीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)
मिश्र, श्री रघुबर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तकृष्णन्, श्री मु० (वेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)

म—(क्रमशः)

मुरुमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)

मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)

मूर्ति, श्री ब० स० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)

मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)

मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर–उत्तर)

मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकन्दपुरम्)

मेलकोटे, डा० (रायचूर)

मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)

मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)

मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)

मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)

मेहदी, श्री सैं० अहमद (रामपुर)

मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)

मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)

मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)

यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनालि)

रंगाराव, श्री (करीम नगर)

रघुनाथ सिंहजी, श्री (बाड़मेर)

रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)

रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)

रघुरामैया, श्री कोत्ता (गुण्टूर)

रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)

रहमान, श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)

र—(क्रमशः)

राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राउत, श्री राजाराम बालकृष्ण (कोलाबा)

राजबहादुर, श्री (भरतपुर)

राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)

राजू, श्री विजयराम (विशाखापटनम्)

राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)

राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)

राधामोहन सिंह, श्री (बलिया)

राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)

राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)

राम कृष्ण, श्री (महेन्द्र गढ़)

रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)

रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामधनी दास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)

राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)

रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)

रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामशंकर लाल, श्री (डूमरियागंज)

राम शरण, श्री (मुरादाबाद)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)

राय, श्री खुशवक्त (खेरी)

राय, श्री बीरेन (कलकत्ता—दक्षिण—पश्चिम)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राय, श्री विश्व नाथ (सलेमपुर)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)

राव, श्री त० ब० विट्टल (खम्मम्)

राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

र—(क्रमशः)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रुंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)

रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)

रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)

रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)

रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)

रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

ल

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)

लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)

लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

लाइकर, श्री निवारण चन्द्र (कचार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीराम पुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)

वर्मा, श्री माणिक्य लाल (उदयपुर)

वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

वर्मा, श्री राम जी (देवरिया)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)

वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)

वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

वासनिक, श्री बालकृष्ण (मंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विजय राजे, कुंवररानी (छतरा)

विल्सन, श्री जान न० (मिर्जापुर)

व—(क्रमशः)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विश्वास, श्री भोला नाथ (कटिहार)

वीरेन्द्र सिंह जी, श्री (रायपुर)

वेद कुमारी, कुमारी मोत्ते (एलुरु)

वैंकटा सुब्बैया, श्री पेंदेकाति (अडोनी)

वैरावन, श्री अ० (तंजोर)

वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)

व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)

व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)

शंकरय्या, श्री (मैसूर)

शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)

शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)

शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)

शर्मा, श्री हरिश चन्द्र (जयपुर)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)

शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)

शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)

शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)

शाह, श्री मानवेंद्र (टेहरी गढ़वाल)

शाह, श्रीमती जायबेन वजुभाई (गिरनार)

शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित —अनुसूचित जातियां)

शिवनजप्पा, श्री (मंडया)

शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)

शोभा राम, श्री (अलवर)

श्रीनारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

संगण्णा, श्री तो० (कोरापट—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

संबंदन्, श्री (नागपट्टिनम्)

सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सम्पत्, श्री (नामक्कल)

सरदार, श्री भोली (सहरसा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)

सहोदरा बाई, श्रीमती (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)

सालंके, श्री बाला साहेब (खेड़)

साहु, श्री भागवात (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह, श्री चण्डिकेश्वर शरण (सरगुजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज—बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिदय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)

स—(क्रमशः)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)

सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर—उत्तर)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सुब्बारायन्, डा० (तिरुचेंगोड)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुज्जफरनगर)

सुल्तान, श्रीमती मैमना (भोपाल)

सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)

सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम)

सेन, श्री फनी गोपाल (पूर्निया)

सैलूक, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सैयद महमूद, डा० (गोपालगंज)

सोनावने, श्री तयप्पा (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेड़)

सोमानी, श्री ग० घ० (दौसा)

सोरेन, श्री देवी (दुमका—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

स्वर्ण सिंह, सरदार, (जालंधर)

स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

हजारनवीस, श्री रा० मा० (भंडारा)

हजारिका श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)

हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)

हालदर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

हिनिटा, श्री हूवर (स्वायत्त जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिण्डा)

हेडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)

हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मोहम्मद इमाम

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

श्री जयपाल सिंह

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिवराम रंगो राने

श्री श्रीनारायण दास

श्री ब० स० मूर्ति

श्रीमती सुचेता कृपालानी

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री रघुवीर सहाय

श्री त० ब० विट्ठलराव

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी

श्री सुरेन्द्र महन्ती

श्री जयपाल सिंह

श्री विजयराम राजू

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री अशोक कुमार सेन

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय

डा० सुब्बारायन

श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल

श्रीमती जयाबेन बजूभाई शाह

श्री ना० वाडीवा

श्री सारंगधर सिन्हा

श्री शिवराम रंगो राने

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक

श्री विमल कुमार घोष

श्री श्रद्धाकर सूपकार

श्री हूबर हिनिटा

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**

श्रीमती शकुन्तला देवी

श्री व० ना० स्वामी

श्री अय्याकण्णु

श्री राम कृष्ण

श्री कमल कृष्ण दास

श्री सूरती किस्तैया

श्री रूंग सुंग सुइसा

श्री बी० ल० चांडक

श्री क० र० आचार

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री करसनदास परमार

श्री यादव नारायण जाधव

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा

श्री इगनस बैक

प्राक्कलन समिति

श्री ब० गो० मेहता--**सभापति**

श्री श्रीपाद अमृत डांगे

सरदार जोगेन्द्रसिंह

डा० सुशीला नायर

श्री राधा चरण शर्मा

चोधरी रणवीर सिंह

श्री गोपालराव खेडकर

श्रीमती सुचेता कृपालानी

श्री तिरुमल राव

श्री विश्वनाथ रेड्डी

श्री रामनाथन् चेट्टियार

श्री न० रं० घोष

पंडित गोविन्द मालवीय

श्री रेशम लाल जांगड़े

श्री मथुरा दास माथुर

श्री डोडा तिमैया

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री र० के० खाडिलकर

श्री भा० कृ० गायकवाड़

श्री श्रद्धाकर सूपकार

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी

श्रीमती मफीदा अहमद

काजी मतीन

श्री नरेन्द्रभाई नथवानी

श्री राजेश्वर पटेल

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री शंकर पांडियन

श्री झूलन सिंह

श्री रामजी वर्मा

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**

श्री अनिरुद्ध सिंह

श्री मूल चन्द दुबे

श्री भक्त दर्शन

श्री चि० र० बासप्पा

श्री सुब्बया अम्बलम्

श्रीमती इला पालचौधरी

श्री नवल प्रभाकर

श्री जसवंत राज मेहता

श्री मोती लाल मालवीय

श्री कमल सिंह

श्री अटल बिहारी बाजपेयी

श्री रामजी वर्मा

श्री र० के० खाडिलकर

श्री वासुदेवन नायर

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्रीमती उमा नेहरू

पंडित द्वारिका नाथ तिवारी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री अब्दुल सलाम

श्री जियालाल मंडल

श्री क० गु० वोडया

श्री नानूभाई निच्छाभाई पटेल

श्री पेन्देकान्ति वेंकटासुब्बैया

श्री प्रताप सिंह दौलता

श्री द० रा० चावन

श्री बै० च० मलिक

श्री रामचन्द्र माझी

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

सरदार अमर सिंह सहगल

श्री नरेन्द्र भाई नथवानी

श्रीमती इला पालचौधरी

श्री कृष्ण चन्द्र

श्री झूलन सिंह

श्री संबंदम्

श्री स० अ० अगाड़ी

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया

श्री सुन्दर लाल

श्री ईश्वर अय्यर

श्री बाला साहेब पाटिल

श्री प्रमथ नाथ बनर्जी

श्री श्रद्धाकर सूपकार

श्री शम्भूचरण गोडसोरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री रंगा—**सभापति**

डा० राम सुभग सिंह

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री रामेश्वर साहू

श्री तो० संगण्णा

श्री अ० चं० गुह

श्री न० रा० मुनिस्वामी

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

श्री रघुबर दयाल मिश्र

श्री दासप्पा

श्री अरविन्द घोषाल

श्री प्रभात कार

श्री जयपाल सिंह

श्री शिवराज

श्री खुशवक्त राय

लोक-लेखा समिति--(क्रमशः)

राज्य-सभा

राजकुमारी अमृत कौर

श्री अमोलख चन्द

श्री टी० आर० देवगिरीकर

श्री एस० वेंकटरामन

श्री एम० गोविन्द रेड्डी

श्री रोहित मनुशंकर दवे

श्री एस० बसवपुनैय्या

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री फणि गोपाल सेन

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री क० स० रामस्वामी

श्री सिंहासन सिंह

श्री जितेन्द्र नाथ लाहिरी

श्री बहादुर सिंह

श्री विश्वनाथ रेड्डी

श्री कन्हैया लाल भेरूलाल मालवीय

श्री अरविन्द घोषाल

श्री मोहम्मद इमाम

डा० कृष्णस्वामी

श्री ब्रजराज सिंह

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री ब० गो० मेहता

श्री रंगा

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या

सामान्य प्रयोजन समिति--(क्रमशः)

श्री मूल चन्द दुबे
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
आचार्य कृपालानी
श्री इन्दुलाल याज्ञिक
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू
श्री प्र० के० देव
श्री भा० कृ० गायकवाड़
डा० कृष्णस्वामी
श्री मोहम्मद इमाम
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या—**सभापति**
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री राजेश्वर पटेल
श्री मणिकलाल मगनलाल गांधी
श्री मि० सू० मूर्ति
श्रीमती मैमूना सुलतान
श्री कमल कृष्ण दास
श्री बैरो
श्रीमती पार्वती कृष्णन
श्री खुशवक्त राय
श्री भाऊसाहेब रावसाहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—**सभापति**
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री चपलकान्त भट्टाचार्य

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्त सम्बन्धी संयक्त समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रकशः)

श्री कन्हैयालाल खादीवाला
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दुरायस्वामी गौण्डर
श्री नारायण गणेश गोरे
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री उ० मथुरमलिंग तेवर

राज्य-सभा

श्रीमती अम्मु स्वामिनाधन्
श्री अमर नाथ अग्रवाल
श्री जस्पत राय कपूर
डा० आर० पी० दूबे
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर

नियम समिति

श्री म०. अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
श्री सत्य नारायण सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्
श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम्
श्री राधे लाल व्यास
श्री तय्यपा हरि सानावने
श्री शिवराम रंगो राने
डा० सुशीला नायर
श्री तंगामणि
श्री पुरुषोत्तम दास पटेल
श्री अमजद अली
श्री मी० रू० मसानी
श्री भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री—श्री गोविन्द बल्लभ पन्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री—श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—श्री स० का० पाटिल

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सैन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री—हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वें० कृ० कृष्णमेनन

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री—श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशवदेव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री—डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रति रक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री—श्री मो० वें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां

रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिक कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरामैया

असैनिक उड्डयन उपमंत्री—श्री मुहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री—श्री पू० शे० नास्कर

विधि उपमंत्री—श्री हजारनवीस

वित्त उपमंत्री—श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सभा सचिव

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री सादत अली खां

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री जो० ना० हजारिका

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री जी० राजगोपालन

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव—श्री ललित नारायण मिश्र

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री आ० चं० जोशी

सामुदायिक विकास मंत्री के सभा सचिव—श्री ब० स० मूर्ति

ईस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव—श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

लोक-सभा

सोमवार, ९ फरवरी १९५९ / २० माघ, १८८० (शक)

लोक-सभा साढ़े बारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री भोलानाथ विश्वास (कटिहार)

श्री ठाकुर दासमल्होत्रा, श्री रानेन्द्रनाथ बसु और श्री बिट्ठल नारायण चन्दावरकर का निधन

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को हमारे तीन मित्र, अर्थात् श्री ठाकुर दास मल्होत्रा, श्री राजेन्द्र नाथ बसु, और श्री विट्ठल नारायण चन्दावरकर के देहान्त की सूचना देनी है।

श्री ठाकुर दास मल्होत्रा जम्मू तथा काश्मीर राज्य से वर्तमान सभा के सदस्य थे। उन का ५२ वर्ष की आयु में, कबुडा में २ जनवरी, १९५९ को देहान्त हुआ।

श्री राजेन्द्र नाथ बसु भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा के १९३८–३९ में सदस्य रहे थे। उन का ६९ वर्ष की आयु में इलाहाबाद में ११ जनवरी, १९५९ को देहान्त हुआ।

श्री विट्ठल नारायण चन्दावरकर भी भूत पूर्व केन्द्रीय विधान सभा के १९४१—४५ में सदस्य थे और उनका ७२ वर्ष की आयु में २३ जनवरी, १९५९ को देहान्त हुआ।

हमें इन तीनों मित्रों के निधन का बड़ा शोक है; मुझे विश्वास है कि सभा इनके परिवारों के प्रति समवेदना प्रकट करने में मेरा साथ देगी।

माननीय सदस्य शोक प्रकट करने के लिए एक मिनट तक मौन खड़े रहें।

इसके पश्चात् सदस्य एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे।

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रपति का अभिभाषण

†**सचिव :** मैं ६ फरवरी १६५६ को एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

अभिभाषण

राष्ट्रपति : संसद् के सदस्यगण, संसद् के नये सत्र का भार संभालने के समय आपका मैं फिर एक बार स्वागत करता हूँ ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष समाप्त होने जा रहा है । अपने गत फरवरी के अभिभाषण में मैं ने आप का ध्यान हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले दबावों की ओर आकर्षित किया था । मैं ने यह कहा था कि मेरी सरकार की यह उत्कट इच्छा है कि इन कठिनाइयों के कारण हमारे विकास के कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिये और पुनर्विचार, कार्यप्रणाली में संशोधन और योजनानुसार साधनों को जुटा कर इन कठिनाइयों पर काबू पाना चाहिये ।

गत वर्ष मई में और फिर नवम्बर में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने दूसरी योजना से सम्बन्धित साधनों के प्रश्न पर, उत्पादन की समस्या पर और क्रमिक विकास पर विचार किया, और उस ने यह फैसला किया कि योजना का कुल खर्चा ४५०० करोड़ होना चाहिये और इसे बचत और साधनों में वृद्धि द्वारा प्राप्त करना चाहिये ।

मेरी सरकार की आर्थिक नीति का यह लक्ष्य है । विदेशी मुद्रा के व्यय और भावी उपयोग को कम करने, कीमतों के बढ़ाव को रोकने, और विदेशों में होने वाली आय को बढ़ाने के लिये उपाय अपनाये गये हैं । बहुत सी चीजों पर से निर्यात कर हटा लिया गया है या कम कर दिया गया है और निर्यात के कोटे को बढ़ा दिया गया है । विदेशी व्यापार सम्बन्धी नियम व ले पर पुनर्विचार के परिणाम-स्वरूप अगस्त १६५८ में २०० वस्तुओं पर से निर्यात कन्ट्रोल हटा लिया गया और जिन चीजों पर निर्यात का प्रतिबन्ध था उन की सूची में काट छांट की गई ।

अस्थायी कठिनाई पर पार पाने की दृष्टि से मेरी सरकार को विदेशों से ऋण तथा सहायता आदि प्राप्त करने में सफलता मिली है । अधिक सहायता के लिये बातचीत जारी है । यह सहायता और ऋण जो हमें विदेशों से मिले हैं और जिन के लिये मेरी सरकार और हमारे देशवासी आभारी हैं, किसी भी प्रकार की राजनीतिक शर्तों से मुक्त हैं । भावी सहायता के लिये बातचीत भी इसी आधार पर की जायेगी ।

हमारी दूसरी योजना देश के आर्थिक विकास के व्यापक कार्यक्रम का एक अंग है । जो कदम हम इस समय उठा रहे हैं,वे योजनाबद्ध सम्पन्नता के लम्बे और कष्टप्रद मार्गमें पड़ाव मात्र है । मेरी सरकार ने योजना आयोग के द्वारा तीसरी योजना के सम्बन्ध में अध्ययन तथा सोच-विचार आरंभ कर दिया है । आशा है कि हम मौलिक उद्योगों, कृषि उत्पादन और ग्रामीण उन्नति के सम्बन्ध में तीसरी योजना के अन्त तक भावी विकास की नींव रख चुकेंगे, जिस के फलस्वरूप आत्मनिर्भर और स्वाश्रयी आर्थिक व्यवस्था का जन्म हो सकेगा ।

आयोजन एक राष्ट्रीय प्रयास है जिस के लिये हर कदम पर राष्ट्र भर का सहयोग और सामूहिक प्रयत्न अपेक्षित है । इसलिये मेरी सरकार ने संसद् के भीतर और बाहर सभी लोगों से यह याचना की

---

†मूल अंग्रेज़ी में

है कि इस विषय में सब लोग रचनात्मक दृष्टिकोण रखेंगे और अपने विचार प्रकट करेंगे, भले ही वे आलोचनात्मक हों। इस काम के लिये मेरे प्रधान मंत्री और योजना आयोग सभी दलों का सहयोग चाहते हैं ।

हमारा विचार है कि इस वर्ष के अन्त तक तीसरी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार कर ली जाये। जब रूपरेखा विचार विमर्श के बाद अनुमोदित हो जाये तब केन्द्र और राज्यों की योजनाओं पर विस्तार से सोच-विचार शुरू किया जाये। जिन लक्ष्यों को हम ने स्वीकार किया है उन में से प्रधान यह है:—राष्ट्रीय आय में ठोस वृद्धि, शीघ्रतापूर्ण औद्योगीकरण, बड़े पैमाने पर रोजगार का विस्तार और आमदनी तथा सम्पत्ति की असमताओं में कमी। सरकार घरेलू और छोटे उद्योगों को भी यथापूर्व सहायता देती रहेगी। विकास के काम में अभी तक हमें जो सफलता मिली है उसे हमें बनाये रखना है और उस की गति को तेज़ करना है।

हमारी आर्थिक व्यवस्था के नियमन के लिये जो बातें सब से जरूरी हैं उन में सर्वप्रथम खाने पीने की चीजें और इन चीजों के भाव हैं। हमारे आयोजन और उन्नति के लिये अत्यन्त आवश्यक दूसरी बातें अधिकतर इन्हीं पर निर्भर करती हैं, जैसे विकास के काम के लिये विदेशी मुद्रा की उपलब्धि, देने-पावने के सन्तुलन की स्थिति, देश के अन्दर मूल्य स्तरों की स्थिरता और मुद्रा बाहुल्य की प्रवृत्तियों की यथासमय रोकथाम ।

फसलों को भारी नुकसान पहुंचने के बाद १९५८ के आरम्भ में अनाज के बढ़ते हुए दामों को रोकने के लिये मेरी सरकार ने उस वर्ष के पहले ११ महीनों में २७ लाख ४० हजार टन अनाज विदेशों से मंगाया, देश के अन्दर अनाज के यातायात का नियमन किया और लोगों को अनाज उपलब्ध करने के लिये सस्ते दामों की दुकानें खोली गयीं। अनाज के व्यापारियों द्वारा अत्यधिक संचय की रोकथाम के लिये रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा उधार दिये जाने की नीति कड़ी कर दी।

इस दिशा में खुराक के मामले में आत्मनिर्भरता ही हमारी समस्या का संतोषजनक हल है। भरपूर प्रयत्न, खेती के सुधरे हुए तरीकों का अपनाया जाना और भूमि सम्बन्धी कानून में आवश्यक सुधार जिस से कि खेती का काम लाभदायक हो, ये बातें उत्पादन में वृद्धि के लिये अनिवार्य रूप से जरूरी हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये मेरी सरकार भूमि सम्बन्धी कानून में सुधार और सहयोग तथा ग्रामों को व्यापक कार्यक्षेत्र दे कर प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी।

पिछले साल की अपेक्षा १९५९-६० में फसलों की स्थिति आशाजनक है। इस वर्ष हम पर प्रकृति की कृपा रही है, और खाद्य तथा व्यापारी फसलें दोनों ही उत्साहवर्द्धक हैं। हमारी चावल की फसल बहुत बढ़िया रही और उस के कारण चावल के दामों में पहले ही कमी हो गई है। हमारा विचार है बड़े पैमाने पर चावल का संचय किया जाय और शासकीय व्यापार का विस्तार किया जाय। गेहूं और चने के भाव ऊंचे चढ़ गये हैं, किन्तु इस समय के लक्षणों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि रबी की फसल भी अच्छी होगी। भरपूर खेती के आन्दोलन, सिंचाई के छोटे साधनों पर अधिक जोर, सिंचाई के मौजूदा साधनों का पूरा उपयोग, सुधरे हुए बीज के वितरण के लिये अधिक केन्द्रों की स्थापना, खेती के सुधरे हुए तरीकों को अपनाने की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति और भूमि के संरक्षण-सम्बन्धी कार्यक्रम का विस्तार—इन सब बातों के कारण ही खेती के क्षेत्र में और विशेषकर प्रधान फसलों के बारे में स्थिति आशाजनक हो पायी है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर ही यह निर्भर करता है कि हमारे देहातों में रहने वाली करोड़ों जन-संख्या के लिये सच्चे अर्थों में लोकतन्त्र का विस्तार हो और वह प्रणाली कार्यान्वित हो। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तीन लाख गांव आ चुके हैं। जिन की जन-संख्या साढ़े सत्रह करोड़ के करीब है।

इस कार्यक्रम में लोगों का अधिक सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिये आवश्यक उपाय काम में लाये जा रहे हैं। ग्राम पंचायत को, जो हमारे लोक तन्त्र की आधारभूत इकाई है, अधिक साधन और अधिकार दिये जा रहे हैं। देहातों में सहयोग समितियां स्थापित और उन्नत की जा रही हैं जिस से कि सारा ग्रामीण क्षेत्र उन के अन्तर्गत आ जाये ।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है किन्तु कुछ उद्योगों को, खास कर सूती कपड़े के उद्योग को, ठेस पहुंची है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में जिन उद्योगों में उत्पादन बहुत बढ़ा है वे हैं मशीनी औजार, पैनिसिलीन, कृमिनाशक औषधियां, कागज और गत्ता, डीजल इंजन, बिजली के मोटर, सल्फ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा, टायर, सिलाई की मशीनें, बाइसिकल और बिजली के पंखे । सार्वजनिक क्षेत्र में जो विस्तार की तथा दूसरी योजनायें इस समय कार्यधीन हैं उन में मशीन निर्माण, वैज्ञानिक खाद और औषधियां शामिल हैं। भोपाल, रांची और दुर्गापुर में बिजली का भारी सामान, भारी औद्योगिक मशीनें और खानों में खुदाई की मशीनें बनाने के कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। वैज्ञानिक खाद के नये कारखाने नांगल, राऊरकेला और नेवेली में लगाये जा रहे हैं। और सिन्दरी का कारखाना बढ़ा कर बड़ा कर दिया गया है। जिन नई योजनाओं पर कार्य हो रहा है उनमें दवाइयां और एंटीबायोटिक्स तैयार करने के कारखाने शामिल हैं ।

गत सप्ताह मुझे राउरकेला और भिलाई के इस्पात कारखानों का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां लोहे का उत्पादन शुरू हो चुका है। आशा है इस वर्ष के समाप्त होने से पहले इन कारखानों में इस्पात भी तैयार होने लगेगा। दुर्गापुर में भी पहली धमन भट्टी इसी वर्ष चालू हो जाने की आशा है। जमशेदपुर में इस्पात के कारखाने के विस्तार का कार्यक्रम करीब करीब पूरा हो चुका है और कुछ ही महीनों में वहां अपेक्षित उत्पादन होने लगेगा। बर्नपुर के कारखाने का विस्तार इस वर्ष के अन्त तक हो चुकेगा ।

कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है। नेवेली लिग्नाइट योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में आगे कदम उठाये गये हैं। नेवेली थर्मल बिजलीघर की योजना स्वीकार कर ली गई है और इस के निर्माण का काम हाथ में ले लिया गया है ।

पर्यवेक्षण और ढूंढ खोज द्वारा भूगर्भ-विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हुई है और राष्ट्रीय खनिज पदार्थ निगम की स्थापना की गई है। कोयले, तांबे और जिप्सम की नई खानों का पता लगा है।

तेल और प्राकृतिक गैस के लिये ज़ोरों से खोज की गई और उस का आशाजनक फल हुआ। तेल के लिये पंजाब में ज्वालामुखी और होशियारपुर में खुदाई जारी रखी गई और आसाम में शिवसागर में खुदाई शीघ्र ही शुरू की जायेगी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना बम्बई राज्य में कैम्बे में तल की खोज है, जहां तेल के कई स्रोतों के मिलने की आशा की जाती है। आशा है जोरों से खुदाई के परिणामस्वरूप इसी वर्ष कैम्बे में तेल के साधन प्राप्त हो जायेंगे। नहरकटिया तेल क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के साधन भी मिले हैं।

आसाम में तेल साफ करने के कारखाने के निर्माण में सहायता और आवश्यक मशीनरी प्राप्त करने के लिये रुमानिया की सरकार के साथ एक समझौता कर लिया गया है।

औद्योगीकरण की योजनाओं में राष्ट्रीय रसायनशालाओं ने महत्त्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने परीक्षण योजनाओं द्वारा अनुसन्धान के परिणामों को उद्योगों पर लागू कर उत्पादन में सहायता दी है। यह काम विशेष कर इस्पात के कारखानों के लिये कोयले के साधनों को उपलब्ध करने, रिफ्रेक्टरी उद्योग के लिये कच्चा माल प्राप्त करने और निजी क्षेत्र की कुछ समस्याओं को हल करने की दिशा में हुआ है। कहीं कहीं ये रसायनशालाएं आयातित सामान की जगह स्वदेशी माल

का उपयोग सुझाने में सफल हुई हैं और घटिया किस्म के धातुओं के लाभदायक उपयोग सुझाने में भी सहायक हुई हैं।

४ मार्च, १९५८ के वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव के अन्तर्गत उद्देश्यों पर अमल करने की दिशा में मेरी सरकार ने कदम उठाये हैं। राष्ट्रीय रसायनशालाओं और उद्योग में पारस्परिक सम्पर्क है। रसायनशाला ट्रेनिंग कोर्सों, अनुसन्धान के लिये अनुदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ट्रेनिंग प्राप्त विज्ञानवेत्ताओं के उपलब्ध रहने से इस सम्पर्क को दृढ़ता तथा व्यापकता मिली है। यह निश्चय किया गया है कि दुर्गापुर में मकैनिकल इन्जीनियरिंग के विकास और अनुसन्धान के लिये और नागपुर में सार्वजनिक स्वास्थ्य इन्जीनियरिंग के लिए राष्ट्रीय रसायनशालाएं स्थापित की जायें।

सोवियत रूस और युनेस्को की सहायता से इस वर्ष बम्बई में और जर्मनी के संघीय गणतन्त्र की सहायता से मद्रास में एक-एक उच्च टैक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट खोला जायगा। इंग्लैंड की सहायता से दिल्ली में एक इन्जीनियरिंग कालेज स्थापित किया जा रहा है। इस कालेज की नींव परमश्रेष्ठ प्रिन्स फिलिप एडिनबरा के डयूक ने अपनी हाल की यात्रा के समय रखी थी।

संसद् द्वारा स्वीकृत व्यय की सीमा में, कार्य-सम्बन्धी और वित्तीय अधिकारों से सम्पन्न एक नया एटॉमिक एनर्जी कमीशन स्थापित किया गया है। केवल शान्तिपूर्ण कामों में उपयोग के लिये आणविक शक्ति के विस्तार तथा प्रगति के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है और हो रही है। इस दिशा में हमारे आयोजन का ध्येय उन मौलिक चीज़ों का उत्पादन है जिनका उपयोग चालन के लिये आणविक शक्ति को उपलब्ध करना हो। न्यूक्लीयर शक्ति के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आयोजन तीसरी योजना के अन्तिम वर्षों में ही हो सकेगा, किन्तु मेरी सरकार ने न्यूक्लीयर शक्तियुक्त कारखाने स्थापित करने का फैसला किया है जिनमें कम से कम २५० हजार किलोवाट की बिजली पैदा की जायेगी।

गत वर्ष मैंने अपने भाषण में आप से कहा था कि रिएक्टर्स के लिए एटामिक विशुद्धता और ईंधन पदार्थयुक्त यूरेनियम धातु का उत्पादन चालू वर्ष के अन्त तक आरम्भ हो जायेगा। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि यूरेनियमधातु का कारखाना बन चुका है और उसका आवश्यक परीक्षण भी हो चुका है। एटामिक दृष्टि से विशुद्ध यूरेनियम धातु के प्रथम ढेले का उत्पादन ३० जनवरी १९५९ को हुआ। ईंधन पदार्थ के पैदा करने की सुविधायें जुटाने का काम भी अब बहुत आगे बढ़ चुका है।

बहुमुखी नदी घाटी योजनाओं का काम भी निर्धारित समय के अनुसार इस वर्ष आगे बढ़ा है। बाढ़ नियन्त्रण के लिये नियुक्त उच्चाधिकार सम्पन्न समिति की रिपोर्ट मेरी सरकार के विचाराधीन है।

कलकत्ता के और मद्रास के बंदरगाहों के सुधार के लिए २० करोड़ रुपये लगेंगे जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारियों ने विश्व बैंक के साथ बातचीत कर वित्तीय समझौते किये हैं।

मेरी सरकार स्वेच्छा से और समझौते के आधार पर दोनों रूप से औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने और बढ़ाने के प्रयत्न में सफल हुई है। एक अनुशासन नियमावलि जो दोनों ओर के मालिक और मजदूरों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की मान्यता की आवश्यकता पर जोर देती है, मालिक और मजदूरों की सभी केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। इस नियमावलि में व्यवहार के नियम बनाये गये हैं। इसमें बताया गया है कि किसी भी ओर से एक-तरफा कार्यवाही नहीं होनी चाहिये,

हड़ताल और कामबन्दी से बचना चाहिये और झगड़ों के बीच-बचाव तथा निपटारे के लिये जो साधन हों वे तुरन्त काम में लाये जाने चाहियें । नियमावली यह भी बताती है कि अपने-अपने दोषी सदस्यों के प्रति मजदूर और मालिक संस्थाएं क्या अनुशासन रखें । श्रमसम्बन्धी कानूनों और निर्णयों की कहां तक अवहेलना हुई है यह देखने के लिये और उन नियमों तथा निर्णयों को पूर्णरूप से कार्यान्वित करने के लिये एक त्रिदलीय समिति बनाई गई है । एम्प्लौईज स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम, जिसमें करीब-करीब चौदह लाख मज़दूर शरीक हैं, अब और अधिक लोगों पर लागू की जा रही है । संचालन कार्य में मज़दूरों को हिस्सा देने की दिशा में कदम उठाया गया है और अब निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में कतिपय उद्योगों के लिए संयुक्त समितियां स्थापित की गई हैं ।

आर्डिनेन्स फैक्ट्रियों के उत्पादन में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप मेरी सरकार विदेशी मुद्रा में बचत कर सकी है । वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान और विकास तथा इसके लिए सुविधाओं के विस्तार की दिशा में भी कदम उठाये गये हैं । प्रतिरक्षा के साधनों के निर्माण के लिए आवश्यक माल और साधन की उपलब्धि की दिशा में कुछ प्रगति है ।

अनुच्छेद ३४४ के अनुसार भाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसद् के सदस्यों की जो समिति नियुक्त की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । चालू सत्र में उस पर विचार करने का आपको अवसर मिलेगा ।

नागा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में काफी सुधार हुआ है । हिंसा और अराजकता की वारदातों में बहुत कमी हुई है । नागा लोगों ने साधारण तौर से मेरी सरकार की नीति को पसन्द किया है । मई, १९५८ में अखिल जन जाति सम्मेलन में अगस्त, १९५७ में हुए कोहिमा सम्मेलन के निर्णयों का अनुमोदन किया । बहुत से नागा लोग जो पहले विरोधी दल में थे और लुक-छिप कर आन्दोलन चला रहे थे अब शान्तिपूर्ण ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं ।

सिक्किम विकास योजना, जिसका खर्चा भारत वहन करता है, ठीक ढंग से चल रही है । गंगटोक से नाथूला तक सड़क तैयार हो गई है और यातायात के लिए खुल गई है । यह सड़क बहुत ही दुस्तर पहाड़ियों से होकर गुजरती है और इसके निर्माण के लिए हमारे इंजीनियर बधाई के पात्र हैं । ९०० मील लम्बी सड़क बनाने के लिये गत वर्ष जनवरी में नेपाल, अमेरिका और भारत के बीच एक त्रिदलीय समझौता हुआ था । त्रिसूली जल विद्युत् योजना के निर्माण के लिये एक और समझौता किया गया और योजना पर काम जारी हो गया है । यह योजना काठमांडू घाटी के लिये १२ हज़ार किलोवाट बिजली पैदा करेगी ।

पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित लोगों के पुनःसंस्थापन के काम में काफ़ी उन्नति की जा चुकी है । जहां तक पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए लोगों का सम्बन्ध है, आशा की जाती है कि पुनःसंस्थापन का अन्तिम काम अर्थात् क्षतिपूर्ति की अदायगी इस वर्ष के भीतर समाप्त हो जायगा । पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लोगों में से करीब ६० हजार पिछले वर्ष शरणार्थी शिविरों से पुनर्वास के स्थानों में पहुंचा दिये गये । यह फैसला किया गया है कि इस वर्ष जुलाई के अन्त तक पश्चिमी बंगाल में सभी शिविर बन्द कर दिये जायें । हमें आशा है कि बाकी ३५ हज़ार विस्थापित परिवार उस समय तक या तो काम और पुनःसंस्थापन के लिये दण्डकारण्य में जा बसेंगे या दूसरे राज्यों में नियत बस्तियों में जा चुकेंगे ।

गैर-सैनिक अनुमानित व्यय के बजट और वित्तीय नियन्त्रण के सम्बन्ध में जो व्यवस्था थी उसमें सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं । विकास योजनाओं को अधिक तेजी से कार्यान्वित करने की दृष्टि से प्रशासनिक मन्त्रालयों को अधिक व्यापक वित्तीय अधिकार दिये गये हैं जिससे

कि वे वित्त मन्त्रालय द्वारा संशोधित और बजट में शामिल की गई मदों पर व्यय की स्वीकृति स्वयं दे सकें।

संसद् के गत सत्र के बाद एक अध्यादेश, "दि इंडियन इन्कमटेक्स (एमेन्डमेन्ट) आर्डिनेन्स १९५९" जारी किया गया। इस अध्यादेश से सम्बन्धित एक विधेयक संसद् के सामने रखा जायगा ·

१९५८ में संसद् द्वारा ४९ विधेयक पारित किये गये। तेरह विधेयक आपके विचाराधीन हैं। विधेयकों और संशोधनों के रूप में मेरी सरकार कई वैधानिक प्रस्ताव संसद् के समक्ष रखना चाहेगी। उनमें ये प्रस्ताव शामिल हैं :—

(१) दि कम्पनीज़ (एमेन्डमेन्ट) बिल।
(२) एस्टेट ड्यूटी (एमेन्डमेन्ट) बिल।
(३) दि स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सब्सीडियरी बैंक्स) बिल।
(४) दि कोल माइन्स लेबर वेलफेयर फंड (एमेन्डमेन्ट) बिल।
(५) दि आल इण्डिया मेटरनिटी बैनिफिट बिल।
(६) बिल टू प्रोवाइड फार कम्पलसरी नोटिफिकेशन आफ वेकेन्सीज बाई एम्पलोयरस टू एम्पलौयमेन्ट एक्सचेंजिस।
(७) दि जिनेवा कनवेन्शन बिल।
(८) दि सेविंग्स बैंक (एमेन्डमेन्ट) बिल।
(९) दि बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी (एमेन्डमेन्ट) बिल।
(१०) दि चिल्ड्रन बिल।
(११) ए बिल फार दि प्रीवेन्शन आफ क्रुएलटी टू एनीमल्स।

१९५९-६० वित्तीय वर्ष के लिये भारत सरकार के आय व्यय के अनुमानित आंकड़े आपके सामने रखे जायेंगे।

संसार में तनाव की भावना अभी बनी है और स्थिति में आधारभूत सुधार के लक्षण अभी दिखाई नहीं देने लगे हैं, यह मेरी सरकार के लिये चिन्ता का विषय है। मेरी सरकार बड़े राष्ट्रों के प्रति तटस्थता की नीति का बराबर अनुसरण कर रही है और तदनुसार तनाव को दूर करने के काम में यथासम्भव योगदान दे रही है।

विज्ञान और टैकनौलोजी में महान प्रगति के कारण मानव ने अन्तर्नक्षत्रीय आकाश के समन्वेषण का साहस किया है और इसके फलस्वरूप मानवीय उन्नति की कल्पनातीत सम्भावनायें सामने आयी हैं। अन्य राष्ट्रों के साथ मेरी सरकार भी इस बात से चिन्तित है कि विज्ञान की यह प्रगति अभी तक अधिकतर ऐसे विध्वंसात्मक शस्त्रों के बनाने में ही काम में लाई गई है जिन से संसार के विनाश का संकट पैदा हो गया है।

मेरी सरकार को इस बात का खेद है कि जहां एक ओर न्यूक्लीयर और थर्मोन्यूक्लीयर विस्फोटों पर रोक लगाने की दिशा में जिनेवा में कुछ प्रगति हुई है, वहां दूसरी ओर इसके बारे में और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण समस्या अर्थात् निःशस्त्रीकरण और विनाश के इन अस्त्रों पर रोक लगाने की दिशा में समझौता तो एक तरफ सच्ची प्रगति भी अभी दिखाई नहीं दी है।

पिछले साल सितम्बर में मेरे प्रधान मन्त्री ने उस समय के पाकिस्तानी प्रधान मन्त्री के साथ सीमावर्ती इलाकों के सम्बन्ध में कुछ समझौते किये थे। पाकिस्तान में स्थित कूचबिहार के कुछ इलाकों और भारत में स्थित कुछ पाकिस्तानी इलाकों का विनिमय भी इन समझौतों में शामिल था। इन समझौतों को कानूनी रूप देने के लिए मेरी सरकार आपके सामने प्रस्ताव रखेगी।

दूरस्थ और निकट के देशों से हमारे सम्बन्ध बराबर मैत्रीपूर्ण रहे।

जापान के सम्राट के निमन्त्रण पर सितम्बर, १९५८ के अन्त में मैंने उस देश की यात्रा की और जापान के सम्राट तथा लोगों ने मेरा हार्दिक स्वागत किया।

इंडोनेशिय के राष्ट्रपति और मलाया के सर्वोच्च शासक के निमन्त्रणों पर गत दिसम्बर, १९५८ में मैंने उन देशों की यात्रा की और दोनों ही देशों की सरकारों तथा जनता ने उदारतापूर्वक मेरा स्वागत किया।

गत वर्ष सितम्बर में मेरे प्रधान मंत्री ने भूटान की यात्रा की, जिससे हमारा एक विशेष संधिगत सम्बन्ध है। वहां के शासक तथा लोगों ने उनका स्नेहपूर्ण स्वागत किया। प्रधान मंत्री ने उन्हें भारत और भूटान के बीच स्थाई मैत्री का आश्वासन दिया और यह कहा कि वहां के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का हमारा संकल्प है। हम आशा करते हैं कि भूटान और भारत के बीच यातायात के साधनों में सुधार के फलस्वरूप दोनों जगह के लोग एक दूसरे के और निकट आ जायेंगे।

सूडान, ईराक, गिनी और क्यूबा में नई शासनसत्ताओं के स्थापित हो जाने पर मेरी सरकार ने उन्हें राजनयिक मान्यता प्रदान की।

पिछले वर्ष हमें अपने सम्मानित अतिथियों के रूप में महामहिम अफ़गानिस्तान के सम्राट, महामहिम नेपाल सम्राट तथा सम्राज्ञी, वियतनाम के लोकतंत्रात्मक गणराज्य के राष्ट्रपति, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति, न्यूज़ीलैंड, टर्की, कम्बोदिया, पाकिस्तान, कैनेडा, घाना, नार्वे, रूमानिया और अफ़गानिस्तान के प्रधान मंत्रियों, अर्थ शास्त्र के जर्मन संघीय मंत्री, संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष, श्री हैनरी केबट लाज, और एडिनबरा के ड्यूक के स्वागत करने का श्रेय प्राप्त हुआ।

वियतनाम और कम्बोदिया में देखरेख और नियंत्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन आलोच्य वर्ष में कार्य करता रहा, किन्तु लाओस में कमीशन ने अनिश्चित काल तक के लिए अपनी कार्यवाही स्थगित की और यह निश्चय किया कि साधारण प्रणाली के अनुसार इसे फिर से बुलाया जा सकता है। मेरी सरकार को इस बात का खेद है कि लाओस में स्थिति और अधिक बिगड़ गई है और सुधार की जो आशा मैं ने पिछले साल प्रकट की थी वह पूरी नहीं हुई। फिर भी मेरी सरकार का बराबर यह विश्वास है कि जेनेवा समझौते से जो शान्ति वहां स्थापित हुई है वह बनी रहेगी और अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन के सदस्य एक दूसरे के साथ पूरा सहयोग करते रहेंगे और शान्ति-स्थापना के हित में लाओस की सरकार का सहयोग भी उन्हें मिलता रहेगा।

भारत ने लेबनान स्थित संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षण दल में भाग लिया और उस क्षेत्र में एक संकटापन्न स्थिति को सुलझाने में अपना विनम्र योगदान दिया।

दक्षिण अफ्रीका की घटनायें, जहां की सरकार पृथकता की नीति का कठोरता से अनुसरण कर रही है और जिस के कारण उस देश के अधिकांश लोगों को अपमान और यातनायें सहनी पड़ रही हैं जिन से संयुक्त राष्ट्र के अधिकारपत्र में दिये गये मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है,

हमारे लिए घोर चिन्ता का विषय है । किन्तु इस बात से कुछ सन्तोष होता है कि संयुक्त राष्ट्र में बहुत बड़ा बहुमत इस नीति का विरोध करता है । हमारी बराबर यही आशा है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार संसार के जनमत का आदर करेगी और यह स्वीकार करेगी कि प्रबुद्ध अफ्रीका में ऐसी नीतियों का परिणाम यही होगा कि जातीय कटुता बढ़ेगी और अन्त में संघर्ष होगा जो व्यापक हो सकता है ।

भारत में गत वर्ष न्यूज़ीलैंड के उच्चायुक्त के दफ्तर की स्थापना का मेरी सरकार ने स्वागत किया है ।

पिछले साल हमारे देश में कई एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए । देश के लोगों की ओर से बाहर से आने वाले महानुभावों का स्वागत और आतिथ्य कर और विश्व में सद्भावना और पारस्परिक आदान-प्रदान को उभारने में किंचिन्मात्र अपना योगदान दे सकने की मेरी सरकार को बहुत खुशी है ।

संसद् के सदस्यगण, मैंने आपके सामने पिछले वर्ष की प्रमुख घटनायें तथा सफलतायें रखी हैं । राष्ट्रीय विकास और उन्नति के सम्बन्ध में किसी हद तक हम अपने आप को मुबारिकबाद कह सकते हैं । किन्तु पहले से भी कहीं अधिक आज हमारा यह सौभाग्य और कर्तव्य है कि हम और अधिक दृढ़ता, अनुशासन और ध्येय-प्राप्ति की भावना के साथ लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में अपने देश के जनसाधारण के लिए वरदान बनाने का प्रयत्न करें ।

मेरी सरकार की यह नीति है और वह सदा इस बात का प्रयत्न करती रहेगी कि इस पुण्य भूमि की और यहां के लोगों की स्वाधीनता तथा मान सदा सुरक्षित रहें, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक कल्याण की प्रवृत्तियों को बल मिले और ऐसी लोकतंत्रात्मक समाजवादी व्यवस्था का निर्माण हो जिस में शान्तिपूर्ण ढंग से जनमत के बल पर उन्नति की चेष्टा और प्राप्ति की जाय ।

संसद् के सदस्यगण, अब मैं आप का काम आप को सौंपता हूं और आप के प्रयत्नों में आप सब की सफलता की कामना करता हूं । आप के प्रयत्न और आप की एकता और अन्तिम ध्येय की प्राप्ति की भावना तथा कर्तव्यपरायणता हमारे देशवासियों को अधिक सम्पन्न और सन्तुष्ट बनाने में, राष्ट्र के स्थायित्व और सुरक्षा को अधिक दृढ़ करने में और विश्व में शान्ति तथा सहयोग का संचार करने में सहायक हो, यही मेरी प्रार्थना है ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव :** श्रीमान्, मैं गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा ८ दिसम्बर, १९५८ को लोक-सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों की प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९५८

(२) विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५८

(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९५८

(४) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक ; और

(५) विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९५८

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमान्, मैं गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा ८ दिसम्बर, १९५८ को लोकसभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित नौ विधेयकों की प्रतियां, राज्य-सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणिकृत रूप में, सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १९५८

(२) विष (संशोधन) विधेयक, १९५८

(३) आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

(४) अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८

(५) संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, १९५८

(६) हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक, १९५८

(७) उड़ीसा बाट तथा माप (दिल्ली निरसन) विधेयक, १९५८

(८) लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८ ; और

(९) दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८

संसदीय समितियां--कार्य सारांश

†**सचिव :** श्रीमान्, मैं दूसरी लोक-सभा के छठे सत्र के बारे में "संसदीय समितियां—कार्य सारांश" की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे ।

†**श्री पु० र० पटेल (मेहसाना) :** मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने सभी स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है । यदि कोई माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं अपने निर्णय पर पुनः विचार करूं तो उसके बारे में मुझे बतायें, फिर मैं यह देखूंगा कि उन्हें यहां उठाया जाना चाहिये या नहीं । जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव हैं वह सभी मुझ से मिल सकते हैं और यदि मैं संतुष्ट हो गया तो मैं उन प्रश्नों को कल यहां उठाने दूंगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

जीवन बीमा निगम नियमों में संशोधन

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २२ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११०१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल टी—११६८/५९]

---

†मूल अंग्रजी में

औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियमों में संशोधन

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२१५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल टी—११६९/५९]

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन नियमों में संशोधन

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: मैं अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ की धारा २२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन नियम, १९५३ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२१२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल टी—११७०/५९]

परक्राम्य संलेख अधिनियम के बारे में विधि आयोग का ग्यारहवां प्रतिवेदन

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ के बारे में विधि आयोग के ग्यारहवें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल टी—११७१/५९]

भारतीय आयकर (संशोधन) अध्यादेश

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं संविधान के अनुच्छेद १२३(२)(क) के उपबन्धों के अन्तर्गत भारतीय आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ (१९५९ का संख्या १) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल टी—११७२/५९]

दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रादेशिक समिति के ग्यारहवें सत्र में भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं नई दिल्ली में सितम्बर, १९५८ में हुए दक्षिण-पूर्व एशिया के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रादेशिक समिति के ग्यारहवें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—११७३/५९]

मध्य भारत खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड आदेश

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं अन्तर्राज्य निगम एक्ट, १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक १३ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६४ में प्रकाशित मध्य भारत खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड आदेश, १९५८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—११७४/५९]

---

†मूल अंग्रजी में

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियमों में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) अधिनियम, १६५५ की धारा १६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १६५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(१) जी० एस० आर० संख्या १२०२, दिनांक २० दिसम्बर, १६५८ ।

(२) जी० एस० आर० संख्या ५५, दिनांक १७ जनवरी, १६५६ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—११७५/५६]

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रत्याहृत (डुप्लिकेटिंग स्टेन्सिल्स) नियम

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३, ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १६४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक १३ दिसम्बर, १६५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११७२ में प्रकाशित सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रत्याहृत (डुप्लिकेटिंग स्टन्सिल्स) नियम, १६५८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—११७६/५६]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १३ दिसम्बर, १६५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११७१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल टी—११७७/५६]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों में संशोधन

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १६४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १६४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(१) जी० एस० आर० संख्या ११६८, दिनांक १३ दिसम्बर, १६५८ ।

(२) जी० एस० आर० संख्या ११७०, दिनांक १३ दिसम्बर, १६५८ ।

(३) जी० एस० आर० संख्या ६१, दिनांक २४ जनवरी, १६५६ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—११७८/५६]

†मूल अंग्रजी में

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक, १९५८ संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**श्री स० च० सामन्त** (तामलुक) : मैं लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

†**सरदार हुक्म सिंह** : मैं भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

†**श्री स० चं० सामन्त** : मैं लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक, १९५८ सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय को बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केरल के मुख्य मंत्री द्वारा केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री को भेजे गये तार के बारे में विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय २ मार्च, १९५९ तक बढ़ा दिया जाये ।

स्पष्टीकरण के लिये मैं दो शब्द कहना चाहता हूं । हम इसको गत सत्र में ही समाप्त कर के बारे में प्रयत्न कर रहे थे परन्तु कुछ कठिनाइयां थीं और समिति ने यह ठीक समझा कि अन्तर्सत्रावधि में बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है । मैं आशा करता हूं कि अगली बैठक में इस पर विचार समाप्त हो जायेगा और प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत कर दिया जायेगा । यद्यपि हमने २ मार्च १९५९ तक अवधि बढ़ा दिये जाने के लिये कहा है परन्तु हमें आशा है कि इसको जल्दी प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलपुज़ा) : इस मामले को बहुत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण समझा गया था लेकिन यहां अवधि बढ़ाने का कोई कारण नहीं बताया गया है । हम जानना चाहते हैं कि प्रश्न पर कितना विचार कर लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**सरदार हुक्म सिंह** : समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं और बहुत सी बातों पर विचार कर लिया गया है। परन्तु कुछ कठिनाइयां सामने आईं। मामला साधारण नहीं था इसलिये जल्दी में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता था। समिति के सदस्यों ने यह ठीक समझा कि एक और बैठक की जाये जिसमें अन्तिम रूप से निर्णय किया जाये। हम किन बातों पर विचार कर रहे हैं उनको बताना इस समय ठीक नहीं होगा। परन्तु मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि सम्भवतया दस दिन में हम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि केरल के मुख्य मंत्री द्वारा केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री को भेजे गये तार के बारे में विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय २ मार्च, १९५९ तक बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक*

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय आय कर अधिनियम, १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय आय कर अधिनियम, १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

भारतीय आय-कर (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७१(१) के अधीन अपेक्षित भारतीय आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ के प्रख्यापन के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—११७२/५९]**

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार १० फरवरी, १९५९/माघ २१, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

*भारत के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २, दिनांक ९-२-५९ में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरस्थापित ।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, ९ फरवरी, १९५९

---

२० माघ, १८८० (शक)

विषय **पृष्ठ**

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १

श्री भोलानाथ विश्वास ने शपथ ग्रहण की ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख १

अध्यक्ष महोदय ने श्री ठाकुरदास मल्होत्रा, जो वर्तमान लोक-सभा के सदस्य थे, श्री रानेन्द्र नाथ बसु और श्री विट्ठल नारायण चन्दावरकर के, जो भूतपूर्व केन्द्रीय विधान-सभा के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया . . . २-९

सचिव ने ९ फरवरी, १९५९ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखी ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ९-१०

(१) सचिव ने पिछले सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित और लोक-सभा को ८ दिसम्बर, १९५८ को दी गयी अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखा :—

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९५८ ।
(२) विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५८ ।
(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९५८ ।
(४) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।
(५) विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

(२) सचिव ने पिछले सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित और लोक-सभा को ८ दिसम्बर, १९५८ को दी गयी अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की राज्य-सभा के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं :—

(१) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक १९५८ ।

विषय पृष्ठ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति---(क्रमशः)

(२) विष (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

(३) आसाम रायफल्ज़ (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

(४) अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

(५) संसद-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

(६) हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक, १९५८ ।

(७) उड़ीसा बाट तथा माप (दिल्ली निरसन) विधेयक, १९५८ ।

(८) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन)विधेयक, १९५८ ।

(९) दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८ ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १०—१२, १४

निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रख गये :—

(१) जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २२ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११०१ की एक प्रति ।

(२) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२१५ की एक प्रति ।

(३) अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ की धारा २२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन नियम, १९५३ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२१२ की एक प्रति ।

(४) परक्राम्य संलेख अधिनियम १८८१ के बारे में विधि आयोग के ग्यारहवें प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(५) संविधान के अनुच्छेद १२३ (२) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत भारतीय आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ (१९५९ का संख्या १) की एक प्रति ।

(६) नई दिल्ली में सितम्बर, १९५८ में हुये दक्षिण-पूर्व एशिया के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रादेशिक समिति के ग्यारहवें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

सभा: पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(७) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक १३ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६४ में प्रकाशित मध्य भारत खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड आदेश, १९५८ की एक प्रति ।

(८) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० संख्या १२०२, दिनांक २० दिसम्बर, १९५८ ।

(दो) जी० एस० आर० संख्या ५५, दिनांक १७ जनवरी, १९५९ ।

(९) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक १३ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११७२ में प्रकाशित सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रत्याहृत (डुप्लिकेटिंग स्टेन्सिल्स) नियम, १९५८ की एक प्रति ।

(१०) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १३ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११७१ की एक प्रति ।

(११) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० संख्या ११६८, दिनांक १३ दिसम्बर, १९५८ ।

(दो) जी० एस० आर० संख्या ११७०, दिनांक १३ दिसम्बर, १९५८ ।

(तीन) जी० एस० आर० संख्या ९१, दिनांक २४ जनवरी, १९५९ ।

(१२) दूसरी लोक-सभा के छठे सत्र के सम्बन्ध में "संसदीय समितियां—कार्य सारांश" की एक प्रति ।

विष्य पृष्ठ

संयुक्त समितियों के प्रतिवेदन---उपस्थापित . . १३

(१) सरदार हुक्म सिंह ने भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक, १९५८ सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया।

(२) श्री सतीश चन्द्र सामन्त ने लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक, १९५८ सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

विधयकों पर साक्ष्य---सभा पटल पर रखे गये . . . १३

(१) सरदार हुक्म सिंह ने भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक, १९५८ सम्बन्धी संयुक्त समिति के सामने दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

(२) श्री सतीशचन्द्र सामन्त ने लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक, १९५८ सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवदन को उपस्थापित करने के लिये समय का बढ़ाया जाना १३-१४

केरल के मुख्य मंत्री द्वारा केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री को भेजे गये तार के बारे में विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय को २ मार्च, १९५९ तक बढ़ा दिया गया।

विधेयक:पुरस्थापित १४

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९।

मंगलवार, १० फरवरी, १९५९/२१ माघ १८८० (शक) के लिये कार्यावलि---

श्री एम० ओ० मथाई द्वारा प्रधान मंत्री को भेजे गये पत्र में कही गई कुछ बातों के बारे में विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर विचार तथा दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा उसका पारित किया जाना।